न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 84/2022 जिला सीकर

1. महावीर पुत्र बक्शा जाति अहीर निवासी ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही भू.अ.नि. क्षेत्र–सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. कमला देवी पत्नि श्री बंशीधर काजला जाति जाट निवासी ढाणी टीबावाली तन सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।

–रेस्पोंडेन्ट

2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज0।
3. मालाराम पुत्र बक्शा जाति अहीर
4. धुडा पुत्र बक्शा जाति अहीर
5. कुरडा पुत्र बक्शा जाति अहीर
6. कमला देवी पत्नि नागरमल जाति अहीर
7. पतासी देवी पत्नि मदनलाल जाति अहीर
8. अणची देवी पत्नि श्योपाल जाति अहीर
9. इन्द्राज पुत्र सुरजा जाति अहीर
10. महेन्द्र कुमार पुत्र श्योपाल जाति अहीर
11. सुल्तान पुत्र श्योपाल जाति अहीर
12. अन्नू पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर
13. अनीश पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर
    नाबालिग जरिये संरक्षक माता ममता पत्नि रामस्वरूप
14. बंशीधर पुत्र मांगू जाति अहीर
15. ममता पत्नि रामस्वरूप जाति अहीर

    समस्त जाति यादव निवासीयान निवासी ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही भू.अ.नि. क्षेत्र–सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.04.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना जिला सीकर

उपस्थित–

1. श्री रमेश कुमार सैनी वकील अपीलान्ट
2. श्री हरिप्रसाद जांगिड वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. सुमन कुमार शर्मा वकील रेस्पोडेण्ट नं 6व 7 की ओर से
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक –29.09.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 25.04.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि खसरा नं. 2505/1923 रकबा 0.1050 है0 जिसका सीमाज्ञान दिनांक 31.12.2021 को तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा किया गया। रेस्पोडेण्ट

Scanned by CamScanner

संख्या 1 कमला देवी पत्नि श्री बंशीधर काजला जाति जाट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र 128 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार नीमकाथाना को मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 31.12.2021 के अनुसार नियमानुसार प्रार्थीया व पडौसी खातेदारान् को सूचना बाद उक्त खसरा नम्बर की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 25.04.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री महावीर पुत्र बक्शा जाति अहीर द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 25.04.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो में मुख्य रूप से अंकित किया है कि ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना में स्थित भूमि खसरा नं. 2505/1923 रकबा 0.1050 है0 भूमि के अपीलांट समीपस्थ खातेदार हैं एवं उक्त विवादित भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन्ही पक्षकारों के मध्य राजस्व वाद की डिग्री पारित हो गई है जिसकी तरमीम जमाबंदी नहीं होने के कारण सीमाज्ञान नहीं हुआ है एवं अपीलार्थी के भूमि के साथ में स्थित रास्ते की जमीन को भी अप्रार्थी ने अपीलांट की सीमा में कर दिया है एवं समीपस्थ खातेदार होने के बाबजूद भी रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट को एवं अन्य रेस्पोडेण्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया व मौके पर अपीलांट का कब्जा है जिसकी जॉच पटवारी हल्का से नहीं करवाई गई ना ही मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई। इन सभी तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है एवं बिना जॉच, सुनवाई एवं सबूत अवसर दिए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 25.04.2022 निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
सीकर

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम सिरोही तहसील नीमकाथाना में स्थित विवादित भूमि की प्रार्थीया एकमात्र काश्तकार खातेदार प्रार्थीया है जिसका अपीलांट की खातेदारी की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। उक्त भूमियों की सुरक्षार्थ, पुख्ता सींव एवं तारबंदी करने हेतु प्रार्थीया द्वारा विधिवत तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार के आदेशानुसार जॉच पश्चात पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर दिनांक 31.12.2021 को सीमाज्ञान किया गया। अपीलांट व प्रार्थीया के मध्य पूर्व में भूमि का विभाजन हो चुका है जो कि बेदखल करने की नियत से सींव को खुर्द बुर्द कर रहे हैं जबकि रेस्पो. ने नियमानुसार ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की विधिक अधिकारों के तहत् पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक सीमाज्ञान पडौसी खातेदारान् को सूचना बाद ही पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिये गये हैं। फिर भी अपीलांट ने बेदखल करने एवं सींव को खुर्द बुर्द करने की नियत से श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

Scanned by CamScanner

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार विधिक प्रावधानों के तहत् मुताबिक सीमाज्ञान पडौसी खातेदारान् को सूचना बाद ही पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

8. हमने अपील में अंकित तथ्यों व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 25.04.2022 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिए गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया कमला देवी पत्नि श्री बंशीधर काजला जाति जाट द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 2505/1923 रकबा 0.1050 है0 की पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.04.2022 के द्वारा मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 31.12.2021 पडौसी खातेदारान् को सूचना बाद ही पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिए गए। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह विधिक प्रावधानों के तहत अपनी कृषि भूमि की पैमाइश एवं पत्थरगढी करा सकता है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत् निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी दोनों पक्षों को सुनकर पत्थरगढी करने का आदेश दिया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि जाहिर नहीं होती है। उक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथना जिला सीकर दिनांक 25.04.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner